प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (बैच-।।, 2016-17) हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1,85,95,00,000.00 (रू0 एक अरब पच्चासी करोड़ पंचानबे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4230/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2019-20, दिनांक-02.08.2021 तथा उसके साथ संलग्न उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण सम्पर्कता प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/1/2015-आरसी(एफएमयस नं0 341739) दिनांक-02.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (बैच-।।, 2016-17) हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1,85,95,00,000.00 (रू0 एक अरब पच्चासी करोड़ पंचानबे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत (बैच-।।, 2016-17) हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/1/2015-आरसी(एफएमयस नं0 341739) दिनांक-02.08.2021 के माध्यम से प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 1,85,95,00,000.00 (रू0 एक अरब पच्चासी करोड़ पंचानबे लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) आकड़ों की शुद्धता/पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित आगणन का सक्षम स्तर से परीक्षण/मूल्यांकन होने के पश्चात् ही वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मद में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर ब्याज अर्जन के उद्देश्य से किसी बैंक खाता/डाकघर में नही रखा जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अवशेष धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(8) योजनांतर्गत तकनीकि कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत अन्तर्गत लेखाशीर्षक "'5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के कम्प्यूटर संख्या-ई-2-917-दस/2021-22, दिनांक-16.08.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या-24/2021/पी-316/अडतीस-9-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- श्री के0एम0 सिंह, उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कमरा संख्या-376 कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

8- मुख्य कोशाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1

10- श्री विजय बहादुर वर्मा (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेट सिस्टम में प्रविष्ट करने हेतु।

11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।